



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

सं.विकास/योजना/यन्त्रीकरण/2023-24/1404

16.12.2024

सेवा में,

मैसर्स, एजी टेक्नॉलजीस
प्लॉट नं. एसपीएल.209, सेकेंड मेइन,
हेबबल इंडस्ट्रियल एरिया, मैसूर-16, कर्नाटक
info@agstec.in; फोन- 9480615015

महोदय,

विषय: स्पाइसेस बोर्ड के कार्यक्रम के तहत कटाई उपरांत मशीनरी/यंत्र के निर्माता/फेब्रिकेटर का
नामिकायन- बाबत ।

संदर्भ: आपका आवेदन 29/07/2024

आपकी फर्म द्वारा निर्मित पेप्पर थ्रेशर को नामिकायन में शामिल करने के लिए प्रस्तुत की गई ईओआई को संसाधित किया और सूचीबद्ध किया जाता है। कार्यक्रम के अनुसार, किसान को पूरी लागत की भुगतान के बाद सूचीबद्ध निर्माताओं से खरीदारी करने के लिए स्वतंत्र है और बोर्ड किसी भी भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप किसान को मूल्य, कर, मॉडल संख्या, क्रम संख्या और क्षमता दर्शाते हुए नकद बिल/कर बीजक और नकद रसीद जारी कर सकते हैं, मशीन पर निर्माण का वर्ष उत्कीर्ण/चिपका होना चाहिए। विवरण इस प्रकार है-

क्रम संख्या	मॉडल	क्षमता (किलो/घंटा)	कुल लागत
1	पेप्प-1	300	31,463/-
2	पेप्प-2	500	46,200/-
3	पेप्प-3	1800	58,905/-
4	पेप्प-4	3300	93,555/-

मॉडल के विरुद्ध ईओएल में निर्दिष्ट मूल्य को तीन वर्ष तक संशोधित नहीं किया जाएगा। यदि कीमत में कोई बढ़ोत्तरी होती है, तो इसकी सूचना स्पाइसेस बोर्ड को पहले ही दी जानी चाहिए। स्पाइसेस बोर्ड को किसी भी स्तर पर मशीनरी/उपकरणों की सुरक्षा और प्रदर्शन के बारे कोई शिकायत मिली तो नामांकित निर्माताओं की नामिकागत सूची से आपका फर्म का नाम हटाने का अधिकार है।

भवदीय,



प्रभारी निदेशक (विकास)

प्रतिलिपि प्रादेशिक कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड, सक्लेशपुर को भेजा जाए।